कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

वेब परिचालन

संख्या: हिं.अ./तिमाही बैठक-समीक्षा / /1206 दिनांक: 15 JUL 2021

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास

सभी अपर के.भ.नि.आ.(मुख्या.)/अपर के.भ.नि.आ.,प्रभारी, अंचल

विषय : अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं इनकी बैठकों के नियमित आयोजन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन संख्या ई - 11018/02/2020-रा.भा.नी. दिनांक 13 अप्रैल, 2021 (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालयों में , चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो अथवा कम, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करें और संबन्धित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए और साथ ही सभी कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

तदनुसार, सभी कार्यालयों के प्रभारी आंचलिक अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्तों से अनुरोध है कि उक्त सम्बंध में अपने अंचल में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एवं उनकी बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित कराएं और कृत कार्रवाई से मुख्यालय को भी अवगत कराएं।

भवदीय,

(अनिमेष मिश्र)
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (राजभाषा)

संख्या ई-11018/02/2020-रा.भा.नी.
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(हिंदी अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं इनकी बैठकों का नियमित आयोजन।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय में, चाहे उसमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कराएं और संबंधित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए। इसके साथ-साथ यह अपेक्षा भी की गई है कि वे अपने यहां गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में, यदि आपके कार्यालय में अभी तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित नहीं की गई है, तो इसे तत्काल गठित करके बैठक अयोजित करें और इसका कार्यवृत मुख्यालय को प्रेषित करें।

भवदीया,

(नीलम ग्रेस एक्का)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
दूरभाषः 011-23473135

सेवा,

श्रम और रोजगार मंत्रालय के समस्त अधिनस्थ कार्यालय।

के.भ.नि.आ. के. नि.स.
प्राप्त किया
15 ... 2021
डायरी सं.